G20 भारत 2023 INDIA
75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

जलांश

खंड -5 अंक 10 मई -2023
केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

श्री कुशविंदर वोहरा
अध्यक्ष, के ज आ

संदेश

जैसा कि हम केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ.) की प्रभावशाली सेवा के 78वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, यह बहुत गर्व की बात है कि मैं 5 अप्रैल, 1945 को श्री बी.आर. अंबेडकर के मार्गदर्शन में केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई और नेविगेशन आयोग (सीडब्ल्यूआईएनसी) के रूप में हमारी स्थापना से लेकर अब तक की हमारी यात्रा का उल्लेख कर रहा हूँ। केंद्रीय जल आयोग के रूप में विकसित होकर, हमने उल्लेखनीय उपलब्धियों की विरासत का उदाहरण पेश करते हुए, भारत के जल संसाधन प्रबंधन परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन वर्षों में हमारी जिम्मेदारी को दृढ़तापूर्वक बरकरार रखा गया है, जिसमें राज्य सरकारों के सहयोग से जल संसाधन योजनाओं की शुरुआत, समन्वय और उन्नति शामिल है। इसमें बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। जांच से लेकर आवश्यक परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक हमारी भूमिका किसी महत्वपूर्ण योगदान से कम नहीं है।

हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रतीक राष्ट्रीय परियोजना घोषित पोलावरम सिंचाई परियोजना में स्पष्ट है, जो वर्तमान में गोदावरी नदी पर चल रही है।इस उद्यम में इस महीने तीन महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जिनमें से एक की अध्यक्षता सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने की और दो की अध्यक्षता मेरे मार्गदर्शन में की गई। इन बैठकों का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास कार्य, पड़ोसी राज्यों में जलमग्न मुद्दों और धन के आवंटन आदि सहित बहुआयामी मामलों का समाधान करते हुए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना था।

संसद द्वारा अधिनियमित, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 जो विफलताओं और संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण और सुरक्षित संचालन पर केंद्रित है, 30 दिसंबर 2021 से प्रभावी है। इस अधिनियम के कारण के.ज.आ. अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) का गठन हुआ, जिसमें एनडीएसए के वर्तमान अध्यक्ष सदस्य (डी एंड आर) थे।एनसीडीएस की एक बैठक 06.04.2023 को आयोजित की गई, जहां दो उप-समितियों, अर्थात् बांधों की संरचनात्मक इंजीनियरिंग और भूकंप सुरक्षा और क्षमता विकास की प्रस्तावित संरचना को अंतिम रूप दिया गया।

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन आयोजित करने के लिए मेरे नेतृत्व वाली समिति की पहली बैठक 06.04.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में हुई। समिति को प्रमुख अधिकारियों से व्यापक जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें सतत नदी कटाव, गंगा नदी के किनारे का स्थानांतरण, बाढ़ और गाद पर अध्ययन का अवलोकन और पिछले अध्ययन शामिल हैं। साझा की गई बहुमूल्य जानकारी गंगा-पद्म नदी प्रणाली के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों को रेखांकित करती है, जो प्रभावी समाधानों की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को नींव प्रदान करती है।

फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच "शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित संधि" पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना (पीएमपी) के अनुसार नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित महाकाली नदी पर विकसित किया जाना है। दिनांक 11.04.2023 को मेरी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में पीएम कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा शामिल थी, और डब्ल्यूएपीसीओएस से प्रस्तुतियों के आधार पर डी एंड आर विंग द्वारा अद्यतन जल विज्ञान अध्ययन पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए थे।

केन्द्रीय जल आयोग में और भी बहुत से कार्य प्रगति पर हैं जिन्हें मैं आगामी संस्करणों में आपके साथ साझा करूंगा।

विषयसूची

- पोलावरम सिंचाई परियोजना के मुद्दों पर चर्चा
- डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों पर चर्चा।
- 25वीं कांग्रेस और आईसीओएलडी की 74वीं आईईसी की आयोजन समिति की तीसरी बैठक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में होगी
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की दो उपसमितियों की प्रस्तावित संरचना पर चर्चा और अंतिम रूप देना
- पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन आयोजित करने के लिए समिति की पहली बैठक
- पंजाब को शारदा यमुना लिंक परियोजना के लाभार्थी के रूप में शामिल करने के लिए श्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब का संदर्भ
- एनडीएसए द्वारा राज्यों के एसडीएसओ के साथ अनुवर्ती बैठक
- भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी)
- भारत और चीन के बीच विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
- डीआरआईपी चरण II के विभिन्न मुद्दों और कार्यान्वयन के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के संबंध में चर्चा
- बांध सुरक्षा अधिनियम पर बैठक
- सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर संचालन समिति की छठी बैठक
- डीडीजी (एमआई) और सीई (पीएमओ) के साथ वृहत मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जनगणना का संचालन
- उत्तर प्रदेश में डीआरआईपी के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की दूसरी बैठक
- आईआईटी रूड़की के साथ बैठक
- बाढ़ और सूखा प्रबंधन पर सक्षम, योजना, निवेश और नियंत्रण (ईपीआईसी) प्रतिक्रिया ढांचा
- हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने पर बैठक
- आई डब्लूएमआई द्वारा विकसित की गई दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली (एसएडीएमएस)
- सीओई की स्थापना के लिए आईआईएससी बैंगलोर के साथ बैठक
- परियोजना के संबंध में बैठक
- बांध की क्षति/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट
- के.ज.आ. अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/साइटों का दौरा/निरीक्षण
- के.ज.आ. की अन्य गतिविधियाँ
- वरिष्ठों अधिकारियों की वार्ता
- 30.04.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति
- जलाशय निगरानी

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महानदी और पूर्वी नदी संगठन, सीडब्ल्यूसी, भुवनेश्वर द्वारा ओडिशा में आयोजित नदी उत्सव 2023 की कुछ झलकियाँ

बैठकें

पोलावरम सिंचाई परियोजना के मुद्दों पर चर्चा

पोलावरम सिंचाई परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना) आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। इस बहुउद्देशीय प्रमुख परियोजना में 4.36 लाख हेक्टेयर की अंतिम सिंचाई क्षमता बनाने के लिए एक अर्थ कम रॉकफिल (ईसीआरएफ) बांध के साथ-साथ सैडल अर्थ बांध, एक स्पिलवे, सिंचाई सुरंग, नेविगेशन सुरंग और चैनल और दोनों किनारों पर दो मुख्य नहरों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 960 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन, 540 गांवों में पेयजल आपूर्ति और 84.7 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) पानी (नुकसान सहित) को कृष्णा बेसिन में मोड़ने की भी परिकल्पना की गई है।

प्रति आरसीसी के अनुसार परियोजना की लागत रु. 2013-14 पीएल पर 29027.95 करोड़ [पहली आरसीई (2010-11) के अनुसार मात्रा के लिए] और 2017-18 पीएल पर 47725.74 करोड़ रुपये [दूसरी आरसीई (2017-18 पीएल) के अनुसार संशोधित मात्रा के लिए]। दिसंबर 2022 तक परियोजना की कुल प्रगति (कार्य, एलए और आर एंड आर सहित) 48.11% है। शुरुआत से लेकर 30.11.2022 तक परियोजना पर कुल व्यय 20766.59 करोड़ रुपये (एनपी के तहत 16,035.88 करोड़) है। परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद मार्च 2023 तक भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल 14418.39 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक06.09.2022 के निर्देशों के अनुसरण में संबंधित राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना, आंध्र प्रदेश के संबंध में तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठकों की श्रृंखला में तीसरी बैठक श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ. और पदेन सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में 03.04.2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय जल आयोग, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित राज्यों के सचिव और प्रमुख अभियंता उपस्थित थे। पोलावरम परियोजना के डिजाइन बाढ़ और बैकवाटर प्रभाव सहित कई तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पार्टी राज्यों की प्रमुख चिंताओं को दूर करने और आगे के रास्ते पर सहमति बनाने का प्रयास किया गया।

काफी हद तक, श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 10.04.2023 को पोलावरम सिंचाई परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक ली। बैठक में के.ज.आ.के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा, के.ज.आ.के अन्य अधिकारी, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार और पीपीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर कार्य, तकनीकी मुद्दे, पड़ोसी राज्यों में जलमग्न क्षेत्र, फंड आदि सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई और कार्यक्रम में तेजी लाने के तरीके खोजने का प्रयास किया गया।

पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में विभिन्न डिजाइन और निर्माण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 26.04.2023 को के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुश्विंदर वोहरा की अध्यक्षता में एक और बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री एस.के. सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), केंद्रीय जल आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण और आंध्र प्रदेश के इंजीनियर-इन-चीफ, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, डब्ल्यूआरडी, आंध्र प्रदेश सरकार, डब्ल्यूएपीसीओएस और परियोजना के डिजाइन और निर्माण में शामिल अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल थीं। पोलावरम सिंचाई परियोजना के अपस्ट्रीम कॉफ़र बांध, ईसीआरएफ बांधों के डिजाइन और निर्माण कार्यक्रम सहित कई तकनीकी मुद्दों पर चर्चा हुई।

डीआरआईपी-II योजना और एनडीएसए से संबंधित मुद्दों पर चर्चा

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 03 और 04 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में के.ज.आ के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा, सदस्य (डी एंड आर) श्री एस. के. सिब्बल और के.ज.आ और एनडीएसए के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), चरण- II और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) से संबंधित मुद्दों के विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में मंत्रालय, के.ज.आ और विश्व बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया।

25वीं कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की 74वीं आईईसी के लिए आयोजन समिति की तीसरी बैठक

25वीं कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की 74वीं आईईसी की आयोजन समिति की तीसरी बैठक 05.04.2023 को हाइब्रिड मोड में के.ज.आ./भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति के अध्यक्ष श्री कुश्विन्दर वोहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में के.ज.आ., भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति , अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग, एनडब्ल्यूडीए, वैपकोस और आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने आयोजन स्थल को अंतिम रूप देने, समय-सारणी, कार्यक्रम के लिए समितियों, प्रदर्शनी आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान, आयोजन समिति ने कांग्रेस और आईईसी के लिए दिन-वार और स्थल-वार कार्यक्रम पर चर्चा की, जिसमें आईएनसीआईडी विशेष सत्र और आईसीआईडी संगोष्ठी के साथ-साथ 6 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं और 8 साइड इवेंट शामिल थे। समिति ने प्रदर्शनी स्टाल के साथ-साथ प्राथमिकता वाले स्टालों और प्रारंभिक समय सीमा के लिए शुल्क को अंतिम रूप दिया। समिति ने 3 वर्गों: प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर के तहत आयोजन के लिए प्रायोजन व्यवस्था के विवरण पर भी चर्चा की और उसे अंतिम रूप दिया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोजन समिति ने 25वीं कांग्रेस और 74वीं आईईसी के प्रबंधन के लिए 12 समितियों की संरचना और दायरे का भी समर्थन किया। ये समितियाँ आयोजन समिति के समग्र मार्गदर्शन में काम करेंगी। समिति ने पंजीकरण से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने और जीएसटी के भुगतान से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) की दो उप-समितियों की प्रस्तावित संरचना पर चर्चा और अंतिम रूप देना

के.ज.आ और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के अध्यक्ष श्री कुश्विंदर वोहरा की अध्यक्षता में 06.04.2023 को हाइब्रिड मोड में एनसीडीएस की दो उप-समितियों, संरचनात्मक इंजीनियरिंग और बांधों की भूकंप सुरक्षा, की प्रस्तावित संरचना पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। और उनके गठन के लिए क्षमता विकास। बैठक में श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ और अध्यक्ष, एनडीएसए और एनसीडीएस के दो विशेषज्ञ सदस्य और मुख्य अभियंता, डीएसओ, के.ज.आ और सदस्य सचिव, एनसीडीएस ने भाग लिया।

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्म नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन आयोजित करने के लिए समिति की पहली बैठक

पश्चिम बंगाल में गंगा-पद्मा नदी प्रणाली द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन आयोजित करने के लिए समिति की पहली बैठक श्री कुश्विंदर वोहरा अध्यक्ष के.ज.आ की अध्यक्षता में 06.04.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर) के साथ-साथ श्री एन.एन.राय, निदेशक, जल विज्ञान (दक्षिण) निदेशालय और श्री गोवर्धन प्रसाद, निदेशक, जल विज्ञान (उत्तर) ने भाग लिया। श्री बी.मुखर्जी, संयुक्त सचिव (कार्य), सूचना एवं विकास निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्तुति दी जिसमें फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में गंगा/पद्मा नदी के किनारों पर स्थायी नदी कटाव से संबंधित मुद्दों पर समिति को सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण और जल

निकासी, कटिहार, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने समय के साथ गंगा नदी के किनारे के क्रमिक बदलाव के बारे में एक प्रस्तुति दी। आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष डॉ. प्रताप सिंह ने बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के तहत 2021 में किए गए अध्ययन पर एक सिंहावलोकन दिया। सीडब्ल्यूपीआरएस के निदेशक डॉ. आर.एस. कंकरा ने उपग्रह इमेजरी के विश्लेषण के साथ-साथ भौतिक मॉडलिंग का उपयोग करके गंगा-पद्मा नदी प्रणाली पर किए गए पिछले अध्ययनों के अवलोकन पर एक प्रस्तुति दी। अध्ययन के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किये गये।

पंजाब को शारदा यमुना लिंक परियोजना के लाभार्थी के रूप में शामिल करने के लिए श्री भगवंत मान, मुख्यमंत्री, पंजाब का संदर्भ

माननीय जल शक्ति मंत्री को संबोधित अपने उद्धरण दिनांक 24.02.2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ की अध्यक्षता में 11.04.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में महानिदेशक (एनडब्ल्यूडीए), आयुक्त (सिंधु) के साथ के.ज.आ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

चर्चा के दौरान, यह देखा गया कि यमुना ऊपरी पहुंच में ओखला बैराज तक एक जलाभाव वाला बेसिन है और शारदा उप-बेसिन अधिशेष नहीं है इसलिए शारदा-यमुना लिंक द्वारा पानी का प्रस्तावित हस्तांतरण केवल शारदा सहायक परियोजना के कमान क्षेत्र की मौजूदा मांग प्रस्तावित गंडक-गंगा लिंक के माध्यम से और शारदा नहर प्रणाली के आंशिक कमान क्षेत्र की मांग प्रस्तावित घाघरा-यमुना लिंक द्वारा पूरी होने के बाद ही संभव है।

एनडीएसए द्वारा राज्यों के एसडीएसओ के साथ अनुवर्ती बैठक

एनडीएसए के अध्यक्ष और सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ श्री एस.के. सिब्बल की अध्यक्षता में ग्यारह राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) के साथ 11.04.2023 को हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन ग्यारह एसडीएसओ के प्रतिनिधियों, जिनके संबंधित राज्यों में 100 से अधिक निर्दिष्ट बांध हैं और एनडीएसए के सदस्य व क्षेत्रीय निदेशक ने भाग लिया ।यह बैठक बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत विभिन्न मुद्दों पर स्थिति/प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी, जैसा कि 15.03.2023 को आयोजित पिछली बैठक के दौरान चर्चा की गई थी और एजेंडा आइटम के अनुसार अन्य विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी।

भारत-नेपाल पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी)

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित महाकाली नदी में विकसित की जाने वाली एक द्वि-राष्ट्रीय जलविद्युत परियोजना है। फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच "शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित संधि" पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत, दोनों देश पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना (पीएमपी) को एक एकीकृत परियोजना के रूप में लागू करने पर सहमत हुए हैं। इस परियोजना पर दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्रों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है। पिछले साल, परियोजना के लिए डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देने से संबंधित मामले पर 23.09.2022 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित जल संसाधन पर भारत-नेपाल संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) की 9वीं बैठक में चर्चा की गई थी। उपरोक्त के अलावा, मामले को आगे बढ़ाने के लिए, 11.04.2023 को के.ज.आ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अभियंता, वाईबीओ द्वारा परियोजनाओं की विभिन्न विशेषताओं व महाकाली संधि के पहलुओं और पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) के अनसुलझे मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली एक प्रस्तुति दी गई।

बैठक में के.ज.आ के अध्यक्ष ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि लंबित मुद्दों को हल करके डीपीआर

को अंतिम रूप देने की दिशा में सभी प्रयास किए जाएं। परियोजना के लिए अनुमानित लागत के संशोधन और बिजली क्षमता अध्ययन पर भी चर्चा की गई। वैपकोस द्वारा प्रस्तुत पंचेश्वर परियोजना के अद्यतन जल विज्ञान अध्ययन पर डी एंड आर विंग द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए थे।

बैठक में श्री पी.एम.स्कॉट, सदस्य (आरएम), के.ज.आ , श्री एस.के. सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), श्री विवेक त्रिपाठी, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), के.ज.आ, श्री जी.के. अग्रवाल, मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन, के.ज.आ उपस्थित थे।

भारत और चीन के बीच विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

सदस्य (नदी प्रबंधन) ने भारत और चीन के बीच विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र से संबंधित मुद्दों पर जल शक्ति मंत्रालय की बैठक में भाग लिया, जिसमें भारत गणराज्य के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और चीनी जनवादी गणराज्य के जल संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। चीन द्वारा भारत को बाढ़ के मौसम में लैंगकेन जांग्बो/सतलज नदी की हाइड्रोलॉजिकल जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ डेटा साझा करने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

डीआरआईपी चरण II के विभिन्न मुद्दों और कार्यान्वयन के साथ-साथ बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के संबंध में चर्चा

महाराष्ट्र , जल संसाधन विभाग के साथ

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 12.04.2023 को मंत्रालय, मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, सीपीएमयू (डीआरआईपी), के.ज.आ, विश्व बैंक और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया।

महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (डब्ल्यूआरडी) के साथ एक संक्षिप्त समापन बैठक आयोजित की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य डीएसए 2021 के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ डीआरआईपी चरण II के लंबित मामलों के शीघ्र समाधान में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पूरा सहयोग भी दिया।

गोवा, जल संसाधन विभाग के साथ

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण- II और बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13.04.2023 को गोवा में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, सीपीएमयू (डीआरआईपी), के.ज.आ और राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। गोवा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (डब्ल्यूआरडी) के साथ एक संक्षिप्त समापन बैठक आयोजित की गई। इसके बाद डीआरआईपी के तहत अंजुनेम बांध का निरीक्षण किया गया।

बांध सुरक्षा अधिनियम पर बैठक

दिनांक 17.04.2023 को माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा बांध सुरक्षा अधिनियम के संबंध में एक बैठक ली गई। बैठक में सचिव (डीओडब्ल्यूआर) एमओजेएस, श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष के.ज.आ और श्री एस.के.सिब्बल, अध्यक्ष एनडीएसए और जेएस(आरडीएंडपीपी)एमओजेएस ने भाग लिया। बैठक में बांध सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर गतिविधियों की स्थिति प्रस्तुत की गयी। केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक, निकट भविष्य में योजनाबद्ध कार्ययोजना जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यों के साथ एनडीएसए की समीक्षा बैठकों के साथ-साथ पूर्व और उत्तर मानसून निरीक्षण की स्थिति और संबंधित राज्यों द्वारा श्रेणी-I और श्रेणी-II बांधों के लिए योजनाबद्ध कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई।

श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ और अध्यक्ष, एनडीएसए की अध्यक्षता में एक और बैठक 24 अप्रैल 2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में एनडीएसए के सदस्यों और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एनडीएसए से संबंधित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा उनके क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिये गये।

सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर संचालन समिति की छठी बैठक

सिंधु जल संधि पर संचालन समिति की छठी बैठक 17.04.2023 को सचिव जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, श्री एस.के.सिब्बल, सदस्य (डी एंड आर), श्री विवेक त्रिपाठी, सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू), श्री नरेंद्र शेखावत, निदेशक एचसीडी (एन एंड डब्ल्यू) के.ज.आ ने बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया। बैठक में समिति की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों, स्मारक के प्रारूप की समीक्षा और सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए गठित समिति की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई।

डीडीजी (एमआई) और सीई (पीएमओ) के साथ वृहत, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए जनगणना का संचालन

मार्च, 2021 में, वृहत, मध्यम और लघु सिंचाई जनगणना और जल निकाय जनगणना की प्रक्रिया को एकीकृत करने के लिए 02.03.2021 और 16.03.2021 को माननीय जल शक्ति मंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में दो बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में छोटी योजनाओं की तरह बड़ी और मध्यम सिंचाई जनगणना को भी राज्य संस्थानों के माध्यम से करने के विचार पर चर्चा की गई।

तदनुसार, जनगणना के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों के साथ एमएमआई जनगणना आयोजित करने का एक प्रस्ताव के.ज.आ द्वारा सलाहकार, एमआई स्टेट विंग, जल शक्ति मंत्रालय को 25.03.2021 को भेजा गया था।

इस संबंध में, केंद्रीय प्रायोजित योजना "सिंचाई जनगणना" के विस्तार की व्यवहार्यता पर चर्चा करने के लिए सचिव, जल संसाधन,नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 15.02.2023 और 27.03.2023 को बैठकें की गईं, जिसमें प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शामिल करने के लिए लघु सिंचाई और जल निकायों को शामिल किया गया है। 27.03.2023 को बैठक के दौरान यह महसूस किया गया कि देश में सिंचाई सुविधाओं के बेहतर मूल्यांकन और कुशल प्रावधान के लिए प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जनगणना को भी शामिल करके 'सिंचाई जनगणना' योजना का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तावित एमएमआई जनगणना एमआई स्टेट विंग, एमओजेएस द्वारा आयोजित की जाएगी क्योंकि वे पहले से ही एमआई जनगणना और जल निकाय जनगणना कर रहे हैं। इसके अलावा, सदस्य, डब्ल्यूपीएंडपी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 18.04.2023 को अपने कक्ष में डीडीजी (एमआई) और मुख्य अभियंता, पीएमओ के साथ एक बैठक की। इसके बाद, डीडीजी (एमआई) स्टेट विंग ने केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई जनगणना" के तहत प्रमुख और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं की प्रस्तावित जनगणना के संचालन के लिए मापदंडों की सूची पर चर्चा करने के लिए जनगणना आयुक्तों/नोडल अधिकारियों के साथ 25.04.2023 को एक वीसी बैठक की।

उत्तर प्रदेश में डीआरआईपी के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं पर चर्चा।

19.04.2023 को सेवा भवन, नई दिल्ली में डीआरआईपी चरण- II और III के परियोजना निदेशक, श्री विजय सरन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश में डीआरआईपी के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एसपीएमयू-ड्रिप यूपी आई एंड डब्ल्यूआरडी के निदेशक श्री समीर कुमार शुक्ला और अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के पुनरुद्धार के लिए कार्य समूह की दूसरी बैठक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीएंडडब्ल्यूएम के पुनर्संरचना के लिए कार्यसमूह की दूसरी बैठक 25.04.2023 को सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उन्होंने 28.03.2023 को आयोजित पहली बैठक में कार्य समूह को सौंपे गए प्रत्येक टीओआर की व्यापक रूपरेखा को दोहराया। इस संबंध में पहली प्रस्तुति पीएमकेएसवाई परियोजनाओं में भूमिगत पाइपलाइनों (यूजीपीएल) को बढ़ावा देने के विषय से संबंधित थी, जो पीएमकेएसवाई परियोजनाओं के लिए यूजीपीएल के अधिक करीबी एकीकरण के लिए बनाई गई थी। इसके बाद मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं के साथ पेयजल के एकीकरण पर एक और प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुतिकरण और कार्य समूह में संबंधित चर्चाओं के आधार पर, निम्नलिखित को समूह की सिफारिशों में शामिल करने का निर्णय लिया गया|

मूल्यांकन स्तर पर यूजीपीएल के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के लिए प्रत्येक प्रमुख, मध्यम और बहुउद्देशीय परियोजना प्रस्तावों की जांच की की जा सकती है। मूल्यांकन के दौरान सूक्ष्म सिंचाई, एससीएडीए और आईओटी के साथ यूजीपीएल के एकीकरण के लिए ईआरएम परियोजनाओं की भी जांच की जा सकती है। सिंचाई आधुनिकीकरण योजना पर एक अध्याय, जिसमें नहरों के नवीनीकरण/पुनर्स्थापना के साथ-साथ मुक्त क्षेत्र के मुद्रीकरण के साथ लाभ लागत विश्लेषण भी शामिल है, को भी डीपीआर में शामिल किया जा सकता है और टीएसी द्वारा आमतौर पर तुलनात्मक रूप से तकनीकी-आर्थिक रूप से बेहतर विकल्प की सिफारिश की जा सकती है।

यह अनुशंसा की गई थी कि उन्नत चरण मानदंड के अंतर्गत नामित परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी में शामिल करने के लिए सिंचाई परियोजना को कम से कम 50% भौतिक प्रगति की आवश्यकता है। यूजीपीएल के तहत 50% से अधिक कमांड क्षेत्र का प्रस्ताव करने वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 25% भौतिक प्रगति तक छूट दी जा सकती है।

आईआईटी रूड़की के साथ बैठक

डीआरआईपी के तहत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईआईटी रूड़की की कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए 25.04.2023 को आईआईटी रूड़की और सीपीएमयू, डीआरआईपी के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सीपीएमयू की ओर से श्री विजय सरन, सीई (डीएसओ) सहित सीपीएमयू के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समन्वयक प्रोफेसर एन.के.गोयल ने आईआईटी रूड़की के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

बाढ़ और सूखा प्रबंधन पर सक्षम, योजना, निवेश और नियंत्रण (ईपीआईसी) प्रतिक्रिया ढांचा

के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुश्विंदर वोहरा ने बाढ़ और सूखा प्रबंधन पर सक्षम, योजना, निवेश और नियंत्रण (ईपीआईसी)प्रतिक्रिया ढांचे के संबंध में 26.04.2023 को विश्व बैंक के अधिकारियों की टीम के साथ बैठक की। विश्व बैंक के अधिकारियों ने अध्यक्ष के.ज.आ को "बाढ़ और सूखा प्रबंधन जोखिम प्रबंधन-ईपीआईसी प्रतिक्रिया" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। विश्व बैंक के अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट सरकारों को बाढ़ और सूखे के जोखिमों को अधिक व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करती है।

विश्व बैंक के अधिकारियों ने उल्लेख किया कि वे हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों और भू-संदर्भित प्रारंभिक चेतावनी के प्रसार के लिए असम सरकार (डब्ल्यूआरडी) और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक विभिन्न गतिविधियों के लिए के.ज.आ के साथ जुड़ना चाहता है और के.ज.आ के साथ कार्यक्रमों/अध्ययनों को डिजाइन और संचालित करने में विश्व बैंक को प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने विश्व बैंक के अधिकारियों को बाढ़ और सूखे के अलावा, केंद्रीय जल आयोग द्वारा पहले से ही की जा रही असंख्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्यों का उल्लेख किया जैसे: जलाशयों का एकीकृत संचालन, विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल भविष्यवाणी, नदी बेसिन प्रबंधन योजनाएँ, मॉडलिंग गतिविधियाँ, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में एआई और एमएल का उपयोग, जल गुणवत्ता, वर्षा और बाढ़ के रुझान का विकास, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए 5 दिन की अग्रिम चेतावनी, अंतरराज्यीय विवाद, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, बाढ़ मानचित्रण, वाराणसी में स्मार्ट लैब, प्रतिरोध प्रदान करना। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ,आईईसी गतिविधियाँ, और क्षमता निर्माण आदि, इनमें से कुछ नाम हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जल अकादमी, एनडब्ल्यूए में उपलब्ध उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे के बारे में उल्लेख किया जो राज्यों, अन्य एजेंसियों और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाता है।

के.ज.आ के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि के.ज.आ ने हाल ही में असम सरकार के साथ एक राज्य स्तरीय परामर्श आयोजित किया था जहां केंद्र और असम के बीच सहयोगात्मक तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था। इस तरह के परामर्श नियमित आधार पर अन्य राज्यों के साथ भी आयोजित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने पर बैठक

हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने पर चर्चा के लिए सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर) की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में 26.04.2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी। अधिक जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है

आईडब्लूएमआई द्वारा विकसित दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली(एसएडीएमएस)

श्री कुशविंदर वोहरा, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और पदेन सचिव, भारत सरकार ने ICAR के सहयोग से IWMI द्वारा विकसित दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली (SADMS) के संबंध में 27.04.2023 को डॉ. आलोक सिक्का के नेतृत्व में IWMI अधिकारियों की टीम के साथ एक बैठक की।

डॉ.गिरिराज अमरनाथ, आईडब्ल्यूएमआई ने एम ओडीआईएस डेटासेट का उपयोग करके बिहार और झारखंड राज्यों में एस एडीएमएस की अवधारणा, कार्यप्रणाली और कुछ परिणाम प्रस्तुत किए।उन्होंने उल्लेख किया कि एसएडीएमएस का उपयोग प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से सूखे की स्थिति का निरीक्षण करने, भविष्यवाणी करने और समाज को जोखिम से मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि एसएडीएमएस न्यूनतम मानव इंटरफ़ेस के साथ डिजिटल सूखा योजना तैयार करने में सक्षम है और क्लाउड-सक्षम तकनीक से लैस है।

अध्यक्ष, के.ज.आ ने आईडब्ल्यूएमआई टीम को अवगत कराया कि के.ज.आ 28 दिनों के लीड समय के साथ विस्तारित हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान (ईएचपी) भी विकसित कर रहा है जो प्रारंभिक तैयारियों में उपयोगी होगा। उन्होंने उल्लेख किया कि के.ज.आ मानसून-आधारित जलवायु जो खरीफ मौसम के पूर्वानुमानों को मुश्किल बनाती है, से जुड़ी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोलॉजिकल सूखा सूचकांक विकसित करने के लिए भी उत्सुक है, क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान की सटीकता मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर निर्भर करती है। रबी मौसम के पूर्वानुमान अपेक्षाकृत सरल हैं क्योंकि मानसून की वापसी के समय तक, जलाशयों और भूजल में पानी का भंडार ज्यादातर ज्ञात होते हैं और उसके बाद के प्रवाह में कोई बड़ी परिवर्तनशीलता या अनिश्चितता नहीं होती है। के.ज.आ के अध्यक्ष ने बताया कि के.ज.आ सीमा स्थितियों, जलवैज्ञानिक सूखा सूचकांकों को विकसित करने के लिए अपनाए जाने वाले मापदंडों, उनके सापेक्ष भार (जो बेसिन से बेसिन में भिन्न हो सकते हैं), इनपुट, आउटपुट, मॉडलिंग गतिविधियां और समग्र कार्यप्रणाली आदि पर काम करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि सूखे की भविष्यवाणी करना और हाइड्रोलॉजिकल सूखा सूचकांक तैयार करना के.ज.आ की प्रमुख चिंताओं में से एक है जिसके लिए जल्द ही के.ज.आ में एक तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा जो अधिमानतः बर्फ और हिमनदों के पिघले घटक वाले बेसिन का अध्ययन करने हेतु जमीनी सच्चाई सहित सीमा स्थितियों, मापदंडों, कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए आईडब्ल्यूएमआई टीम के साथ बातचीत करेगी। नर्मदा जैसे अन्य बेसिन को भी लिया जा सकता है।

उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आईआईएससी बैंगलोर के साथ बैठक

डीआरआईपी योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय बांध केंद्र की स्थापना पर संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 28.04.2023 को सिविल इंजीनियरिंग विभाग में मंत्रालय के अधिकारियों और आईआईएससी बैंगलोर टीम के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी। आईआईएससी टीम का नेतृत्व सिविल इंजीनियरिंग विभाग के

श्री अनंत रामास्वामी ने किया। बैठक में मंत्रालय से श्री आनंद मोहन, जेएस (आरडी एंड पीपी) और श्री मनोज कुमार, एसजेसी (पीआर-II) ने भाग लिया और के.ज.आ के अधिकारियों में श्री विजय सरन, सीई (डीएसओ) और परियोजना निदेशक, डीआरआईपी,श्री एस.एस.बख्शी, निदेशक, डीएसआर और श्री योगेश भिसे, डीडी, डीएसआर निदेशालय शामिल थे।

परियोजना के संबंध में बैठक

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड

श्री एस.के.सिब्बल सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ की अध्यक्षता में सीईए, सीएसएमआरएस, एनआईआरएम, यूजेवीएन लिमिटेड और एलएंडटी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ 05.04.2023 को लखवार एमपीपी के संबंध में के.ज.आ में एक बैठक आयोजित की गई। बांध स्थल पर भूवैज्ञानिक मुद्दे, डायवर्जन व्यवस्था से संबंधित मुद्दे, लाखवार एमपीपी के साथ व्यासी एचईपी का संचालन, पुच्छजल रेटिंग वक्र, बिजली संभावित अध्ययन का संशोधन, पहले से ही खोदे गए पावरहाउस कॉम्प्लेक्स का उपकरण, एनआईआरएम द्वारा बिजलीघर परिसर का संख्यात्मक मॉडल अध्ययन, बिजलीघर परिसर/सुरंगें/एडिट्स, लखवार एमपीपी के उत्खनन चित्रों पर चर्चा की गई। बैठक में दिनांक 24.02.2023 के पत्र के माध्यम से के.ज.आ की पिछली टिप्पणियों के लिए आईआईएससी के अनुपालन और आईआईएससी के संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। आयोजित चर्चाओं के आधार पर, आईआईएससी, बैंगलोर से प्रस्ताव को संशोधित करने और संशोधित मसौदा प्रस्ताव को सहमति ज्ञापन के मसौदे के साथ जल्द से जल्द के.ज.आ को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

रतले एचई परियोजना

मैसर्स डीएचआई-एएस द्वारा किए जा रहे "रतले एचई प्रोजेक्ट (जम्मू एंड कश्मीर) के जलाशय अवसादन के लिए 2 डी और 3 डी संख्यात्मक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन" की प्रगति की निगरानी के लिए श्री विवेक त्रिपाठी, सीई, डिज़ाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में 19.04.2023 को के.ज.आ , एनएचपीसी और डीएचआई के अधिकारियों के बीच परामर्श निगरानी समिति की पहली बैठक के.ज.आ में आयोजित की गई थी।

सोम्ब सरस्वती बैराज परियोजना

सरस्वती बैराज, जलाशय और पाइपलाइन के डिजाइन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए श्री विवेक त्रिपाठी, सीई, डिजाइन (एन एंड डब्ल्यू) की अध्यक्षता में के.ज.आ और एचएसएचडीबी के अधिकारियों की सोंब सरस्वती बैराज परियोजना बैठक 20.04.2023 को के.ज.आ में आयोजित की गई थी।

यूएचएल-III जलविद्युत परियोजना

यूएचएल III जलविद्युत परियोजना, उत्तराखंड के पेनस्टॉक/प्रेशर शाफ्ट की बहाली और सुधार कार्यों से संबंधित मामले पर चर्चा करने के लिए सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान) श्री एस.के.सिब्बल की अध्यक्षता में के.ज.आ और एचपीएसईबीएल अधिकारियों के बीच यूएचएल III जलविद्युत परियोजना पर के.ज.आ में 20.04.2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना

ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (यूएसएमएसपी) पर 03.04.2023 को सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर की अध्यक्षता में बैठक हुई। श्री कुश्विंदर वोहरा, अध्यक्ष, के.ज.आ , श्री एस.के. सिब्बल, सदस्य (अभिकल्प और अनुसंधान) और श्री विवेक त्रिपाठी, मुख्य अभियंता (डिज़ाइन ई एंड एनई) ने बैठक में भाग लिया। बैठक में एनएचपीसी ने ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (यूएसएमएसपी) की समग्र प्रगति पर एक प्रस्तुति दी थी।

बांध की घटनाओं/विफलता की स्थितिजन्य रिपोर्ट

के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई बांध घटना/विफलता पर द्वि-साप्ताहिक स्थितिजन्य रिपोर्ट संकलित की जा रही है और माननीय जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय को प्रस्तुत की जा रही है। अप्रैल माह में के.ज.आ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश में किसी भी बांध को नुकसान से संबंधित कोई घटना सामने नहीं आई।

अलमाटी बांध, कर्नाटक

प्रशिक्षण/कार्यशाला

उत्तर प्रदेश राज्य में डीआरआईपी के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यशाला

एसपीएमयू-डीआरआईपी और यूपी, आई एंड डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों ने 19 और 20 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक कार्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य में डीआरआईपी के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यशाला में भाग लेने के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री प्रभात कुमार, उप निदेशक, एफई एंड एसए निदेशालय और श्री योगेश कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक एफई एंड एसए निदेशालय भी कार्यशाला में शामिल हुए।

के.ज.आ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं/साइटों का दौरा/निरीक्षण

समतल खाड़ी झील (फ्लैट बे झील) परियोजना, अंडमान

के.ज.आ के अधिकारी श्री अदेपु राघवेंद्र, डीडी और श्री मधुकांत गोयल, एडी ने 24-25 अप्रैल 2023 के दौरान अंडमान लोक निर्माण विभाग और वैपकोस (डब्ल्यूएपीसीओएस) अधिकारियों के साथ फ्लैट बे लेक परियोजना, अंडमान का दौरा किया। फ्लैट बे लेक परियोजना पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अंडमान में प्रस्तावित तटीय जलाशय के प्रकार की ताजा जल भंडारण परियोजना है।

अन्य गतिविधियाँ

वरिष्ठजन वार्ता

किसी संगठन में, ज्ञान साझा करने से न केवल उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि यह कर्मचारियों को अपना काम प्रभावी ढंग से और कुशलता से करने के लिए भी सशक्त बनाता है। इस दिशा में, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 25.04.2023 को नई लाइब्रेरी बिल्डिंग, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में पहली "सीनियर टॉक" का आयोजन किया गया था।

के.ज.आ के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन सचिव श्री कुश्विंदर वोहरा मुख्य अतिथि थे। श्री एम.के.श्रीनिवास, अध्यक्ष, जीएफसीसी, पटना और श्री सुशील कुमार, मुख्य अभियंता, एनडब्ल्यूए, पुणे (दोनों जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं) पहली सीनियर टॉक के सम्माननीय अतिथि और वक्ता थे।

वक्ताओं ने के.ज.आ में काम करने के अपने अनुभव साझा किये। उन्होंने सीडब्ल्यूईएस ग्रुप-ए अधिकारी के रूप में अपने पूरे करियर में उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के साथ-साथ उनसे निपटने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण का भी संक्षेप में उल्लेख किया। उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कुछ बदलाव/मुद्दे भी सुझाए जिन्हें संगठन के कार्य को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उठाया जा सकता है। के.ज.आ के अध्यक्ष ने श्री एम.के.श्रीनिवास और श्री सुशील कुमार के अनुभव के निष्कर्षों पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए सत्र का समापन किया।

When the well is dry, we know the worth of water

-Benjamin Franklin

30.04.2023 तक योजनाओं की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में और विशिष्टत: कें.ज.आ. के घटक के लिए)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान 2022-23	व्यय	व्यय (%में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	162.130	6.768	0.42%
2	जल संसाधन विकास योजनाओं की जांच (आईडब्ल्यूआरडी)	20.000	0.0109	0.05%
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	20.310	1.063	5.24%
4	निर्देशन एवं प्रशासन (डी एंड ए) - प्रमुख कार्य और ओई (एसएपी)	11.000	0.00	0.00%
5	राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (एनएचपी)	31.58	0.00	0.00%

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 146 जलाशयों की सजीव भंडारण स्थिति की निगरानी कर रहा है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 18 जलाशय पनबिजली परियोजनाओं के हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 34.960 बीसीएम है। इन 146 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 178.185 बीसीएम है, जो देश में सृजित अनुमानित भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 69.11% है।

जलाशय भंडारण बुलेटिन दिनांक 27.04.2023 के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध कुल भंडारण 64.13 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता का 36% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध कुल संग्रहण 66.631 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत संग्रहण 53.388 बीसीएम था। इस प्रकार, दिनांक 27.04.2023 के बुलेटिन के अनुसार 146 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के संग्रहण का 96% और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 120% है।

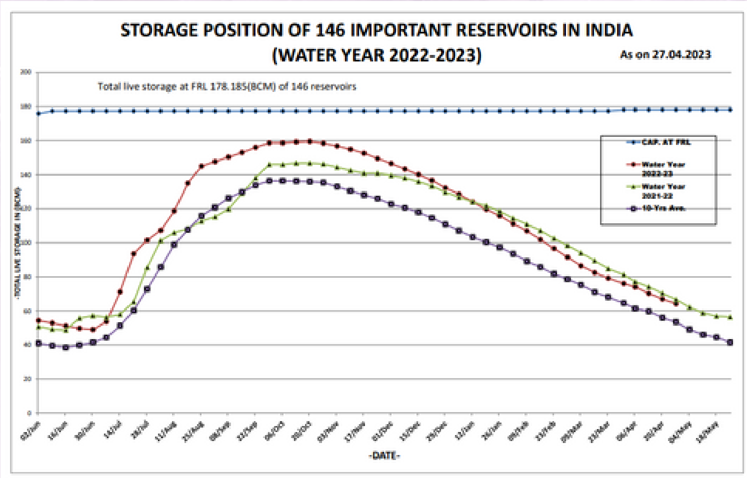

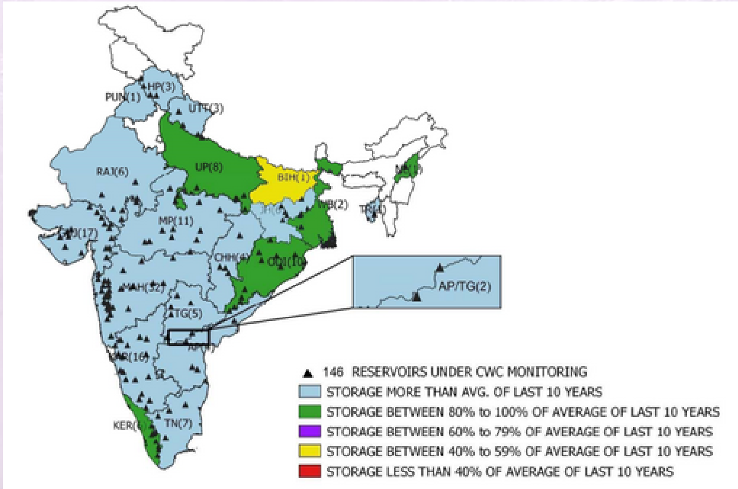

जल क्षेत्र-समाचार

- मिशन अमृत सरोवर: 40,000 जल निकायों का विकास, लक्ष्य का लगभग 80% हासिल (मिलेनियम पोस्ट, 01.04.2023)
- विरदी बांध कार्य पर गोवा सरकार को नोटिस (हिन्दुस्तान टाइम्स, 04.04.2023)
- जल जीवन मिशन ने अपने लक्ष्य का 60% हासिल किया; 23.4 मिलियन घर जोड़े गए (हिंदुस्तान टाइम्स, 05.04.2023)
- उत्तर भारत भूजल की कमी का प्रमुख केंद्र है, जिससे देश की 95% हानि होती है: अध्ययन (मिलेनियम पोस्ट, 07.04.2023)
- दुनिया की सबसे पवित्र पाक के साथ सिंधु संधि, 3 युद्धों के बावजूद हम इसका सम्मान कर रहे हैं (द इनियन एक्सप्रेस, 09.04.2023)
- केंद्र ने जल संकट वाले 150 जिलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए (मिलेनियम पोस्ट, 14.04.2023)
- सिंधु जल संधि: भारत ने संशोधनों का अध्ययन करने के लिए बैठक आयोजित की (द पायनियर, 18.04.2023)
- पहली जल निकाय जनगणना में, बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है (द इंडियन एक्सप्रेस, 21.04.2023)
- 1 साल में 13 हजार का नुकसान? केंद्र के पहले सर्वेक्षण में कर्नाटक झील की कुल संख्या मात्र 27 हजार बताई गई है (द टाइम्स ऑफ इंडिया, 26.04.2023)
- राज्य जलविद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी पर कर नहीं लगा सकते (बिजनेस लाइन, 28.04.2023)

गैलरी

20.04.2023 को एनजीटी के ओए नंबर 433/2022 के तहत माननीय एनजीटी द्वारा नामित समिति के सदस्य के रूप में सीई यूजीबीओ द्वारा फील्ड विजिट किया गया। निदेशक एम एंड ए लखनऊ ने यूपी, आई एंड डब्ल्यूआरडी के अधिकारियों के साथ यूपी के बलरामपुर जिले में सुआव नदी का दौरा किया।

सोनपुर (जीडीएसक्यू) साइट का दौरा श्री पी एम स्कॉट, सदस्य (आरएम), के.ज.आ, श्री आर शिम्रे, मुख्य अभियंता, बीओबीओ, के.ज.आ, शिलांग और श्री एस के सुमन, अधीक्षण अभियंता, एचओ एंड आईसी, के.ज.आ, गुवाहाटी ने किया।

के.ज.आ. अधिकारियों, वन विभाग सिक्किम और भारतीय सेना के संयुक्त दौरे द्वारा उत्तरी सिक्किम में गुरुडोंगमार झील के पास 18000 फीट की ऊंचाई पर स्नोगेज टेलीमेट्री स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि का सीमांकन।

एस-एम लिंक परियोजना के एसएंडआई के लिए के.ज.आ और जीएसआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

प्रस्तावित सुवर्णरेखा बैराज स्थल पर के.ज.आ और जीएसआई का संयुक्त दौरा

प्रस्तावित एस-एम लिंक परियोजना के दूसरे लिफ्ट प्वाइंट स्थल पर के.ज.आ और जीएसआई का संयुक्त दौरा।

श्री रणजीतसिंह नाइक निंबालकर माननीय सांसद (लोकसभा) महाराष्ट्र की नीरा देवघर नहर परियोजना के संबंध में 5 अप्रैल 2023 को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री कुशविंदर वोहरा से मुलाकात की।

राष्ट्र के अंतर-राज्यीय जल कानून

भारत में अंतर-राज्य जल कानून एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है जो विभिन्न राज्यों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे और प्रबंधन को विनियमित करने और संघर्षों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कानून, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सद्भाव और न्यायसंगत तरीके से जल तक पहुंच बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है:

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान में अंतर-राज्यीय जल कानूनों से संबंधित कई प्रावधान शामिल हैं, जिनमें अनुच्छेद 262 महत्वपूर्ण है। यह संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।

अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:

यह कानून अंतर-राज्य नदियों पर विवादों को हल करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को बातचीत विफल होने पर राज्यों द्वारा निर्दिष्ट विवादों पर निर्णय लेने के लिए न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)स्थापित करने का अधिकार देता है।

विवाद समाधान प्रक्रिया:

अधिनियम के तहत, एक राज्य सरकार एक विवाद के साथ केंद्र सरकार के पास जा सकती है, जिसे बातचीत के माध्यम से हल नहीं होने पर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में भेजा जा सकता है। न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का निर्णय बाध्यकारी है और केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

विवाद समाधान में देरी के लिए इस अधिनियम की आलोचना की गई है, जिससे लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। कुछ लोगों का तर्क है कि केंद्र सरकार द्वारा विवादों को न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में भेजना निष्पक्षता को लेकर चिंता पैदा करता है।

जल न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल) तंत्र:

भारत ने राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने हेतु विशिष्ट विवादों के लिए जल न्यायाधिकरणों(ट्रिब्यूनल) की स्थापना की है, जैसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल) और रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल)।

न्यायपालिका की भूमिका:

शीघ्र समाधान के अभाव में, जल विवादों के समाधान के लिए अक्सर न्यायपालिका से संपर्क किया जाता है। अंतरिम आदेश और दिशानिर्देश तय करने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

राष्ट्रीय जल नीति:

राष्ट्रीय जल नीति अंतर-राज्य जल बंटवारे के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें कुशल उपयोग, संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।

सहकारी संघवाद:

राज्यों के बीच जल बंटवारा सहकारी संघवाद का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां राज्य और केंद्र सरकार आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोग करते हैं।

सतत प्रबंधन:

जैसे-जैसे पानी की कमी बढ़ रही है, सतत प्रबंधन प्रथाओं और जल संसाधन उपयोग के लिए समग्र दृष्टिकोण का महत्व बढ़ रहा है।

भविष्य की दिशाएँ:

भारत के जल कानून जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ती माँग जैसी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित हो रहे हैं। सर्वसम्मति-आधारित समाधान और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर अधिक जोर दिए जाने की संभावना है।

संक्षेप में, भारत में अंतर-राज्य जल कानून, अंतर-राज्य नदी जल विवाद अधिनियम द्वारा समर्थित, का उद्देश्य राज्यों के बीच संघर्ष समाधान और न्यायसंगत जल बंटवारे की सुविधा प्रदान करना है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो बढ़ते जल तनाव की स्थिति में कुशल तंत्र और जल प्रबंधन के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

के.ज.आ की भूमिका

केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) भारत में अंतर-राज्यीय जल कानूनों के कार्यान्वयन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1945 में स्थापित, के.ज.आ जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के तहत एक प्रमुख तकनीकी संगठन है जो जल संसाधन योजना, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। 1945 में स्थापित, के.ज.आ जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के तहत एक प्रमुख तकनीकी संगठन है जो जल संसाधन योजना, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

तकनीकी विशेषज्ञता: के.ज.आ जल संसाधनों, नदी बेसिन विकास और संबंधित बुनियादी ढांचे के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह विशेषज्ञता निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहायता करती है।

विवाद समाधान समर्थन: के.ज.आ तकनीकी अध्ययन करके, रिपोर्ट तैयार करके और हाइड्रोलॉजिकल डेटा, नदी प्रवाह और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर सिफारिशें पेश करके अंतर-राज्य जल विवादों के समाधान में सहायता करता है।

डेटा संग्रह और विश्लेषण: आयोग पानी की उपलब्धता, नदी के प्रवाह, भूजल स्तर और अन्य जलवैज्ञानिक मापदंडों पर डेटा एकत्र करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह डेटा पानी की उपलब्धता का आकलन करने और समान बंटवारे का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नदी बेसिन विकास योजना: के.ज.आ व्यापक नदी बेसिन विकास योजना तैयार करने में सहायता करती है, जिसमें जल आवंटन, भंडारण और वितरण रणनीतियाँ शामिल हैं। ये योजनाएँ विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल उपयोग को अनुकूलित करने में मदद करती हैं।

न्यायाधिकरणों को समर्थन: जब अंतर-राज्यीय जल विवादों को न्यायाधिकरणों को भेजा जाता है, तो के.ज.आ अक्सर न्यायाधिकरण की निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तकनीकी इनपुट, डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है।

अंतर-राज्य समन्वय: आयोग नदी बेसिन साझा करने वाले विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य

करता है। यह सामंजस्यपूर्ण जल बंटवारे को बढ़ावा देने के लिए संवाद और डेटा-साझाकरण की सुविधा प्रदान करता है।

हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान: सीडब्ल्यूसी हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान और बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों का संचालन करता है, आपदा तैयारियों में योगदान देता है और अंतर-राज्य नदियों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करता है।

बुनियादी ढांचे का विकास: आयोग बांधों, जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों जैसी जल-संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन पर सलाह देता है। इन परियोजनाओं का अंतर-राज्यीय जल बंटवारे पर प्रभाव पड़ सकता है और इन्हें सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जल नीति कार्यान्वयन: सीडब्ल्यूसी जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और अंतर-बेसिन स्थानांतरण जैसे क्षेत्रों में तकनीकी इनपुट प्रदान करके और प्रगति की निगरानी करके राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में योगदान देता है।

क्षमता निर्माण आयोग जल संसाधन प्रबंधन में शामिल हितधारकों के तकनीकी कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं सहित क्षमता निर्माण गतिविधियों में संलग्न है।

संक्षेप में, केंद्रीय जल आयोग भारत में अंतर-राज्यीय जल कानूनों से संबंधित तकनीकी सहयोग, डेटा-संचालित निर्णय लेने और संघर्ष समाधान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विशेषज्ञता और सेवाएँ विभिन्न राज्यों के बीच जल संसाधनों के स्थायी और न्यायसंगत प्रबंधन में योगदान करती हैं।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, 1956 के अंतर्गत स्थापित न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरण का नाम	संबंधित राज्य	गठन की तिथि	वर्तमान स्थिति
गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा	अप्रैल 1969	जुलाई 1980 में निर्णय
कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-I	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक	अप्रैल 1969	मई 1976 में निर्णय
नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	अक्टूबर 1969	दिसंबर 1979 में निर्णय
रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	अप्रैल, 1986	अप्रैल 1987 में निर्णय। मामला न्यायालय में लंबित है।
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी	जून, 1990	05.02.2007 को निर्णय। मामला न्यायालय में लंबित।
कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र	अप्रैल, 2004	30.12.2010 को निर्णय। मामला न्यायालय में लंबित। आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद न्यायाधिकरण का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
वंसधरा जल विवाद न्यायाधिकरण	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	फरवरी, 2010	निर्णय लंबित है
महादई जल विवाद न्यायाधिकरण	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	नवंबर, 2010	निर्णय लंबित है

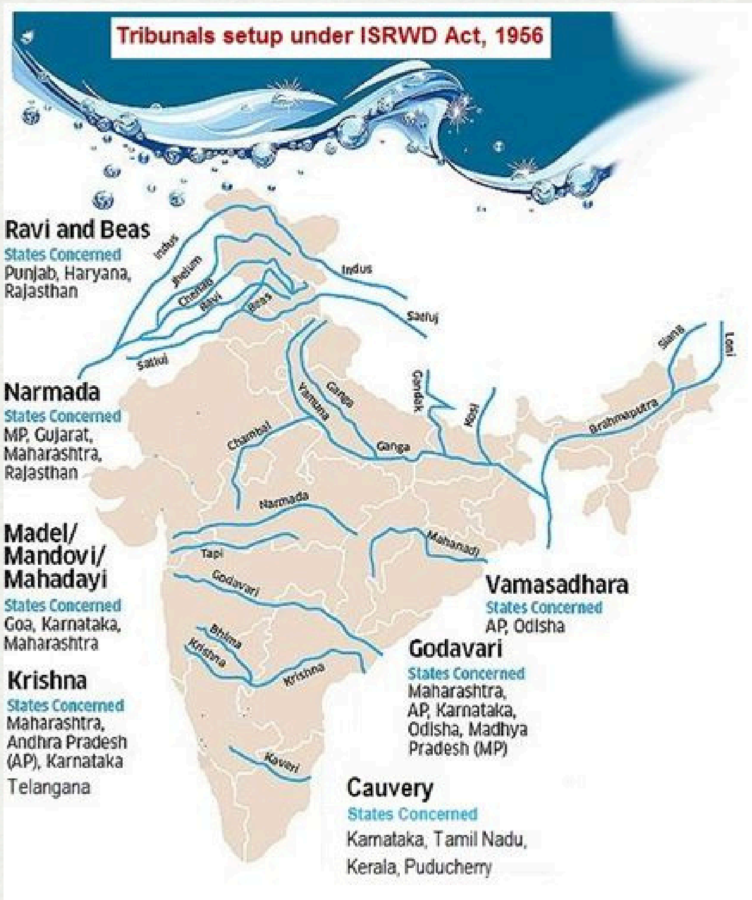

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- डॉ. बी.आर.के. पिल्लै, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री अभय कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री भूपिंद्र सिंह, निदेशक(टीसी) – सदस्य
- श्री सुनिलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in